"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 मई 2002—वैशाख 16, शक 1924

वित्त,वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-45/2002/वाक/पांच (57).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 17-4-2002 से 30-4-2002 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एम्बुलेन्स	प्रवेश कर मुक्त	जबकि कालम (2) में वर्णित माल का प्रवेश जैकमेन मेमोरियल मिशन हॉस्पिटल, बिलासपुर द्वारा, इस धर्मार्थिक अस्पताल में उपयोग के लिये किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2002

क्रमांक एफ-10-45/2002/ वा क/पांच (57).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10-45/2002/वाक/पांच (57), दिनांक 6-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप सचिव.

Raipur, the 6th May 2002

NOTIFICATION

No. F-10-45/2002/CT/V (57).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule given below from the payment of tax under the said Adhiniyam from 17th April, 2002 to 30th April, 2002, to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which Exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ambulance	Exempt from entry tax	When the goods specified in column (2) are entered by Jackman Memorial Mission Hospital, Bilaspur for use in the charitable hospital.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.